राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 25 (डी)13/लेखा/आकाशि/2016/3932-33 दिनांक : 22/07/21

समस्त सहायक निदेशक
क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः—निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जॉच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पालना शीघ्र भिजवाने हेतु पूर्व मे भी लिखा जा चुका है किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अनुपालनाएं मय पूर्ण साक्ष्यों के साथ नहीं भिजवायी गई है। इस संबंध मे उच्च स्तर पर अधिकारियों द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण के बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण की निरन्तर धीमी गति को गम्भीरता से लिया है।

अतः इस संबंध में पुनः लेख हैं कि आपके महाविद्यालय से संबंधित निरीक्षण विभाग के बकाया प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्ति दिनांक के 01 माह के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आन्तरिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण के लिए पैरा अनुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ठोस एवं पूर्ण साक्ष्य सहित अनुपालना (मय संलग्नक प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित) दो प्रतियों में तैयार कर 15 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्नः
01. अनुपालना हेतु प्रारूप।

-Sd-
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः एफ 25 (डी)13/लेखा/आकाशि/2016/3932-33 दिनांक : 22/07/21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,जयपुर

Desktop/Deepak folder/Mithilesh Ma'am

प्रारूप

महाविद्यालय का नाम....................................

आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या................

क.सं.	आक्षेप सं.	आक्षेप का विवरण	महाविद्यालय द्वारा की गई अनुपालना	आयुक्तालय की टिप्पणी	निरीक्षण विभाग की टिप्पणी